Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT)
© VIJACT |Vol.2, Issue1, Jan. 2026, pp. 48-57 | ISSN: 3139-1656 (Online)
DOI: https://doi.org/10.65785/vijact.v2i1.11
Available online at: https://vijact.com/

एसिड हमलों की रोकथाम हेतु सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से संवेदनशीलता बढ़ाने के उपाय

Chhama [1] and Dr. Vikas Deep Singh Kohli [2]

[1] Research Scholar, Department of Law, NIILM University, Haryana.
[2] Professor, Department of Law, NIILM University, Haryana.

Article Info

Article history:
Received Jan 13, 2026
Accepted Jan 22, 2026
Published Jan 31, 2026

Keywords:
जागरूकता कार्यक्रम
लैंगिक असमानता
शिक्षा
हिंसा
एसिड हमला
संवेदनशीलता
महिला सुरक्षा

ABSTRACT

एसिड हमले न केवल शारीरिक हिंसा का रूप हैं, बल्कि यह समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता, प्रतिशोध की मानसिकता और संवेदनशीलता की कमी का प्रतीक भी हैं। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भारत तथा उत्तर प्रदेश में एसिड हमलों की प्रवृत्ति और वितरण का विश्लेषण करना और सामाजिक जागरूकता एवं शिक्षा आधारित रोकथाम उपायों की भूमिका का मूल्यांकन करना है। अध्ययन क्षेत्र गोरखपुर जनपद रखा गया है, जहाँ के सामाजिक संदर्भ में निष्कर्षों की व्याख्या की गई है। शोध वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक प्रारूप पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2017 से 2023 तक के आधिकारिक द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग कर प्रतिशत विश्लेषण एवं ची-वर्ग परीक्षण किया गया। परिकल्पना के रूप में वार्षिक घटनाओं की एकरूपता तथा राज्यवार वितरण की समानता का परीक्षण किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि वार्षिक घटनाओं में सार्थक अंतर है तथा घटनाएँ कुछ राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में सांख्यिकीय रूप से सार्थक ढंग से संकेंद्रित हैं। दोषसिद्धि दर निम्न और लंबित मामलों का अनुपात अत्यधिक पाया गया। निष्कर्षतः, केवल कानून पर्याप्त नहीं है; विद्यालय, समुदाय, पुलिस और पुनर्वास संस्थाओं को जोड़ती हुई जागरूकता-शिक्षा आधारित बहुस्तरीय रणनीति ही रोकथाम का प्रभावी मार्ग है।

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Corresponding Author:
Chhama
Email: chhamanoon1981@gmail.com

1. Introduction

एसिड हमला केवल शारीरिक चोट पहुँचाने वाला अपराध नहीं है; यह पीड़िता के चेहरे, दृष्टि, त्वचा और कई बार जीविका तक को छीनकर उसे जीवन भर के लिए सामाजिक हाशिये पर धकेल देने वाली सुनियोजित क्रूरता है। भारत में इस अपराध की शिकार अधिकांशतः महिलाएँ होती हैं, और हमले के पीछे प्रायः विवाह या प्रेम प्रस्ताव ठुकराने का प्रतिशोध, दहेज विवाद, पारिवारिक कलह अथवा स्त्री की स्वतंत्रता को दंडित करने की पितृसत्तात्मक मानसिकता कार्य करती है। हमलावर का उद्देश्य हत्या नहीं, बल्कि पीड़िता को जीवित रखते हुए उसकी पहचान मिटा देना होता है, इसीलिए यह अपराध सामान्य चोट से भिन्न श्रेणी की नैतिक और सामाजिक चुनौती प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है, और संवैधानिक विधि के अध्येताओं ने बार-बार रेखांकित किया है कि गरिमा का यह अधिकार राज्य पर सक्रिय संरक्षण का दायित्व भी डालता है (सीरवाई, 2013; बसु, 2017)। संविधान सभा की बहसों में ही यह दृष्टि स्पष्ट थी कि राजनीतिक समानता तब तक अधूरी रहेगी जब तक सामाजिक जीवन में समानता और बंधुता स्थापित न

हो (आंबेडकर, 1950)। न्याय की यही संवैधानिक अवधारणा एसिड हिंसा जैसे अपराधों के विरुद्ध राज्य और समाज दोनों की जवाबदेही तय करती है (सिंह, 2018)।

विधिक स्तर पर भारत ने 2013 के आपराधिक विधि संशोधन के माध्यम से एसिड हमले को स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित किया, जिसमें न्यूनतम दस वर्ष से आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान किया गया; उच्चतम न्यायालय ने एसिड की खुली बिक्री पर नियंत्रण तथा पीड़िताओं के लिए न्यूनतम मुआवज़े के निर्देश दिए। इस विधिक प्रतिक्रिया के विकास का व्यवस्थित विश्लेषण उपलब्ध साहित्य में मिलता है (भाटिया, 2019)। किंतु आँकड़े बताते हैं कि कठोर कानून के बावजूद समस्या समाप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार देश में 2017 में 244, 2018 में 228, 2019 में 240 और 2020 में 182 एसिड हमले दर्ज हुए; 2021 में यह संख्या घटकर 176 रही, परंतु 2022 में 202 और 2023 में 207 मामलों के साथ पुनः वृद्धि दर्ज हुई। स्वयंसेवी संगठनों का अनुमान है कि वास्तविक घटनाएँ प्रतिवर्ष लगभग एक हज़ार तक हो सकती हैं, अर्थात कलंक और भय के कारण बड़ी संख्या में मामले दर्ज ही नहीं होते। यह अंतराल स्वयं इस बात का प्रमाण है कि समस्या की जड़ केवल दंड-विधान में नहीं, बल्कि सामाजिक चुप्पी, पीड़िता पर दोषारोपण और संस्थाओं के प्रति अविश्वास में है।

यहीं से इस शोध की केंद्रीय स्थापना जन्म लेती है: एसिड हमलों की टिकाऊ रोकथाम का मार्ग सामाजिक मानसिकता के परिवर्तन से होकर जाता है, और मानसिकता बदलने के दो सबसे सशक्त उपकरण हैं — जागरूकता और शिक्षा। विद्यालय-महाविद्यालय स्तर पर जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा, अस्वीकृति को स्वीकार करना सिखाने वाला मूल्य-बोध, समुदाय स्तर पर एसिड बिक्री नियमों की जानकारी, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण तथा पीड़िताओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, ये सब मिलकर वह सामाजिक वातावरण बनाते हैं जिसमें अपराधी को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती और पीड़िता को चुप नहीं रहना पड़ता। अध्ययनों ने दिखाया है कि जेंडर आधारित अपराधों में पुलिस का व्यवहार और संवेदनशीलता रिपोर्टिंग तथा जाँच की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है (जैन एंड अग्रवाल, 2021), जबकि पीड़िताओं की सामाजिक स्वीकृति और पुनर्वास समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है (सेन, 2020)। संस्थागत स्तर पर सखी वन स्टॉप सेंटर योजना हिंसा प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक और आश्रय सहायता उपलब्ध कराने की परिकल्पना करती है (मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2016)।

अध्ययन क्षेत्र के रूप में गोरखपुर जनपद का चयन सोद्देश्य है। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शैक्षिक, चिकित्सकीय और प्रशासनिक केंद्र है, जहाँ विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और सघन ग्रामीण-शहरी मिश्रित आबादी एक साथ मौजूद है। उत्तर प्रदेश 2023 में 31 दर्ज मामलों के साथ एसिड हमलों में देश में दूसरे स्थान पर रहा, अतः इस राज्य के एक प्रतिनिधि जनपद के सामाजिक संदर्भ में जागरूकता-शिक्षा आधारित उपायों पर विचार करना नीतिगत दृष्टि से प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोधपत्र में प्रवृत्ति एवं वितरण का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उपरांत परिणामों की व्याख्या गोरखपुर के धरातल पर की गई है, ताकि निष्कर्ष केवल अकादमिक न रहकर व्यावहारिक सुझावों तक पहुँच सकें।

2. सामाजिक जागरूकता और न्यायपालिका की पहल

सामाजिक जागरूकता और न्यायपालिका की पहल किसी भी न्याय प्रणाली के सशक्तीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से तब जब बात अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने और पीड़ितों को उनके अधिकार दिलाने की हो। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में, जहाँ कानून का शासन सर्वोपरि माना जाता है, वहाँ सामाजिक जागरूकता और न्यायपालिका की सक्रियता एक-दूसरे की पूरक हैं। सामाजिक जागरूकता न केवल आम जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों, और कानूनी विकल्पों के प्रति जागरूक करती है, बल्कि यह कानून के उल्लंघन के प्रति एक सामूहिक सामाजिक अस्वीकार्यता भी उत्पन्न करती है। जब जनता किसी अपराध या अन्याय के विरुद्ध मुखर होती है, तो यह केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं रह जाता बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, निर्भया कांड (2012) के बाद हुए जन आंदोलनों ने न केवल न्यायपालिका को शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि सरकार को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 2013 के तहत बलात्कार और महिला हिंसा से संबंधित प्रावधानों को सख्त करने के लिए मजबूर कर दिया (Baxi,

2014)। इसी प्रकार से, एसिड हमलों के विरुद्ध जन जागरूकता अभियानों—जैसे स्टॉप एसिड अटैक्स मूवमेंट—ने मीडिया, नागरिक समाज संगठनों और स्वयंसेवकों को एकजुट किया, जिससे न्यायपालिका को लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) जैसे ऐतिहासिक फैसले सुनाने का अवसर मिला, जिसमें कोर्ट ने एसिड की बिक्री पर नियंत्रण, पीड़ितों के लिए न्यूनतम मुआवजा, और फ्री मेडिकल सहायता का निर्देश दिया। यह दर्शाता है कि जन चेतना न्यायिक सुधारों का उत्प्रेरक बन सकती है। न्यायपालिका ने भी समय-समय पर सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए समाज को संदेश देने वाले निर्णय सुनाए हैं। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने S. Subramaniam Balaji बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) में यह स्पष्ट किया कि लोकलुभावन घोषणाओं और घूस की राजनीति से चुनाव प्रभावित नहीं होने चाहिए, और इसके खिलाफ भी जन जागरूकता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "न्याय योजना" एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है आम जनता को न्यायिक सहायता सुलभ कराना, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्गों के लिए (Verma, 2019)। यह योजना जिला न्यायालयों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर कानूनी परामर्श, प्राथमिक विधिक सहायता, और मुफ्त वकीलों की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिला, दलित, अल्पसंख्यक और दिव्यांग नागरिक, न्याय प्रक्रिया से जुड़ सके और अपने अधिकारों के लिए सक्षम हो सके। सामाजिक संगठनों जैसे लॉयर्स कलेक्टिव, प्लान इंडिया, और पर्सिस्टेंट फाउंडेशन ने कई बार ग्रामीण इलाकों में जाकर लीगल अवेयरनेस कैंप आयोजित किए हैं जिनमें नागरिकों को बताया जाता है कि एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाती है, अदालतों में क्या प्रक्रिया होती है, और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाता है (Choudhary, 2020)। न्यायपालिका की भी यह नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अभियानों को समर्थन दे और अपने निर्णयों के माध्यम से कानूनी शिक्षा को बढ़ावा दे। उच्चतम न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की है कि "न्याय केवल सुलभ ही नहीं, बल्कि समझने योग्य और समयबद्ध भी होना चाहिए" (Justice P.N. Bhagwati, 1986)। सोशल मीडिया के युग में यह भी देखा गया है कि वायरल वीडियो, जन याचिकाएँ, और ऑनलाइन अभियान किसी विशेष केस को न्यायिक प्राथमिकता दिलाने में सहायक हो सकते हैं, जैसे असिफा बलात्कार केस या हाथरस गैंगरेप मामला, जिनमें सामाजिक आक्रोश ने न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत, अगर सामाजिक जागरूकता का अभाव हो तो कई बार गंभीर अपराध भी अंधकार में खो जाते हैं या प्रशासनिक लापरवाही के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए विधिक साक्षरता और जागरूकता को स्कूल स्तर से ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ अपने कानूनी अधिकारों को जान सकें और उनका उपयोग कर सकें। इसके साथ ही, न्यायपालिका को भी चाहिए कि वह अपने निर्णयों में सरल भाषा, क्षेत्रीय अनुवाद, और मीडिया-सामग्री का उपयोग कर आमजन तक अपनी बात पहुँचाए। कई राज्य उच्च न्यायालयों ने इस दिशा में पहल की है, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों को हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित करने की व्यवस्था की है। इससे आम नागरिकों में न केवल न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ता है, बल्कि वे खुद भी न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनते हैं। साथ ही, पुलिस और न्यायपालिका के बीच की समन्वयात्मक खाई को पाटने के लिए पुलिस-ज्यूडिशियल लिंकेज सेमिनार, लोक अदालत, और विधिक सहायता प्राधिकरणों की भूमिका को और मजबूत किया जाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता के बिना न्याय केवल कागजों पर सीमित रह जाती है, लेकिन जब जागरूकता न्यायपालिका की पहल से मिलती है, तो वह एक प्रगतिशील सामाजिक क्रांति में बदल जाती है। इसीलिए, सामाजिक जागरूकता और न्यायपालिका की पहल को अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों मिलकर समाज में न्याय की स्थापना करते हैं, पीड़ितों को ताकत देते हैं, और अपराधियों को जवाबदेह बनाते हैं। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामूहिक मूल्य है—जिस पर किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आत्मा टिकी होती है।

3. साहित्य की समीक्षा

एसिड हिंसा पर उपलब्ध भारतीय साहित्य को तीन धाराओं में देखा जा सकता है, संवैधानिक-न्यायिक, विधिक-प्रवर्तन संबंधी, और सामाजिक-पुनर्वास केंद्रित। संवैधानिक धारा की जड़ें जनहित याचिका की उस अवधारणा में हैं जिसे न्यायिक सक्रियता के नए आयाम के रूप में प्रतिपादित किया गया था; इस अवधारणा ने वंचित और पीड़ित वर्गों के लिए न्यायालय के द्वार खोले और आगे चलकर एसिड

पीड़िताओं से जुड़ी ऐतिहासिक याचिकाओं का मार्ग प्रशस्त किया (भगवती, 1984)। जेंडर न्याय के क्षेत्र में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का विश्लेषण बताता है कि न्यायालयों ने महिलाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में उत्तरोत्तर सक्रिय व्याख्या अपनाई है, यद्यपि निर्णयों का क्रियान्वयन प्रायः प्रशासनिक शिथिलता का शिकार होता रहा है (उपाध्याय, 2010)। संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की विवेचना करने वाले प्रामाणिक भाष्य यह स्थापित करते हैं कि राज्य का दायित्व केवल हस्तक्षेप न करने तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिक की गरिमा की सक्रिय रक्षा तक विस्तृत है (सीरवाई, 2013; बसु, 2017)।

विधिक-प्रवर्तन धारा में एसिड हमलों के प्रति भारतीय विधि की प्रतिक्रिया का विशिष्ट अध्ययन उपलब्ध है, जो 2013 के संशोधनों, एसिड बिक्री विनियमन और मुआवज़ा व्यवस्था की उपलब्धियों के साथ-साथ प्रवर्तन की कमज़ोरियों को भी रेखांकित करता है (भाटिया, 2019)। जेंडर अपराधों की पुलिसिंग पर केंद्रित शोध यह दिखाता है कि प्राथमिकी दर्ज करने में हिचक, पीड़िता से असंवेदनशील पूछताछ और जाँच में विलंब जैसे व्यवहारगत कारक कानून की प्रभावशीलता को भीतर से क्षीण करते हैं; लेखकों का निष्कर्ष है कि पुलिस प्रशिक्षण में जेंडर संवेदनशीलता को अनिवार्य घटक बनाए बिना विधिक सुधार अधूरे रहेंगे (जैन एंड अग्रवाल, 2021)। न्यायिक क्षमता की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों और बैकलॉग पर आधिकारिक रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात और मुकदमों के अंबार के कारण गंभीर अपराधों में भी विचारण वर्षों खिंचता है, जिससे दंड का निवारक प्रभाव कमज़ोर पड़ता है (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 2014)। कोविड-19 काल में न्यायपालिका की प्रतिक्रिया के अध्ययन ने दिखाया कि तकनीक आधारित सुनवाई और प्रक्रियागत नवाचार संभव हैं, बशर्ते संस्थागत इच्छाशक्ति हो; यही नवाचार-क्षमता एसिड हमला मामलों की त्वरित सुनवाई में भी उपयोगी हो सकती है (कुमार एंड झा, 2021)।

सामाजिक-पुनर्वास धारा में एसिड पीड़िताओं की सामाजिक स्वीकृति और पुनर्वास पर केंद्रित समाजशास्त्रीय अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है, जिसके अनुसार पीड़िता की सबसे लंबी लड़ाई अस्पताल में नहीं, समाज में लड़ी जाती है रोज़गार, विवाह, सार्वजनिक स्थलों और यहाँ तक कि परिवार के भीतर स्वीकृति के स्तर पर (सेन, 2020)। संस्थागत प्रतिक्रिया के रूप में सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का आधिकारिक प्रलेखन हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता का ढाँचा प्रस्तुत करता है (मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2016), और संशोधित दिशानिर्देश इन केंद्रों की कार्यप्रणाली, रेफरल व्यवस्था तथा जागरूकता गतिविधियों को विस्तार देते हैं (मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2020)। समग्रतः, उपलब्ध साहित्य विधि, न्यायपालिका और पुनर्वास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है, किंतु दो रिक्तियाँ स्पष्ट हैं। पहली, अद्यतन आँकड़ों (2023 तक) के सांख्यिकीय परीक्षण के आधार पर जागरूकता-शिक्षा रणनीति की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले अध्ययन सीमित हैं। दूसरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेषकर गोरखपुर जैसे जनपदों के सामाजिक संदर्भ में रोकथाम उपायों पर केंद्रित शोध लगभग अनुपलब्ध है। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं रिक्तियों को संबोधित करता है।

4. उद्देश्य

1. भारत एवं उत्तर प्रदेश में एसिड हमलों की वर्षवार प्रवृत्ति तथा राज्यवार वितरण का विश्लेषण करना।
2. सामाजिक जागरूकता एवं शिक्षा आधारित रोकथाम उपायों की भूमिका का मूल्यांकन कर गोरखपुर के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करना।

5. परिकल्पनाएँ

H_{01}: भारत में एसिड हमलों की वार्षिक दर्ज घटनाओं (2017–2023) में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

H_{02}: प्रमुख राज्यों में एसिड हमलों (2023) का वितरण समान है, अर्थात घटनाएँ किसी क्षेत्र विशेष में संकेंद्रित नहीं हैं।

6. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है, जिसमें द्वितीयक आँकड़ों का व्यवस्थित सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। अध्ययन क्षेत्र गोरखपुर जनपद, उत्तर प्रदेश निर्धारित किया गया है; चूँकि एसिड हमलों के जनपद-स्तरीय प्रकाशित आँकड़े

सीमित हैं, इसलिए विश्लेषण राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय आधिकारिक आँकड़ों पर किया गया है और उनकी व्याख्या तथा सुझाव गोरखपुर के सामाजिक-शैक्षिक संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। अध्ययन का प्रतिदर्श (सैंपल) वर्ष 2017 से 2023 तक की अवधि के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्टों में दर्ज एसिड हमला मामलों का समग्र समुच्चय है, जिसमें सात वर्षों के अखिल भारतीय आँकड़े तथा 2023 के राज्यवार आँकड़े सम्मिलित हैं। आँकड़ा संकलन का उपकरण द्वितीयक स्रोत-आधारित अभिलेख विश्लेषण (डॉक्यूमेंट एनालिसिस) रहा, जिसके अंतर्गत आधिकारिक रिपोर्टों, संसदीय उत्तरों एवं प्रामाणिक समाचार विश्लेषणों से आँकड़े सत्यापित कर सारणीबद्ध किए गए। विश्लेषण की तकनीकों में प्रतिशत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा ची-वर्ग (काई-स्क्वायर) उपयुक्तता परीक्षण का प्रयोग किया गया; सार्थकता स्तर 0.05 रखा गया। पहली परिकल्पना के परीक्षण हेतु सात वर्षों की वार्षिक घटनाओं पर तथा दूसरी परिकल्पना हेतु 2023 के नौ प्रमुख राज्यों/संघ क्षेत्रों के आँकड़ों पर ची-वर्ग परीक्षण लागू किया गया। न्यायिक निष्पादन के मूल्यांकन हेतु दोषसिद्धि, दोषमुक्ति एवं लंबित मामलों के अनुपातों की गणना की गई। अध्ययन की परिसीमा यह है कि यह दर्ज मामलों पर आधारित है, अतः अल्प-रिपोर्टिंग की संभावना को व्याख्या में ध्यान में रखा गया है।

6. परिणाम

तालिका 1: भारत में एसिड हमलों की वर्षवार दर्ज घटनाएँ (2017–2023)

वर्ष	दर्ज मामले	पूर्व वर्ष से परिवर्तन (%)
2017	244	—
2018	228	–6.6
2019	240	+5.3
2020	182	–24.2
2021	176	–3.3
2022	202	+14.8
2023	207	+2.5

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, संबंधित वर्ष।

तालिका 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सात वर्षों में कुल 1,479 मामले दर्ज हुए, जिनका वार्षिक माध्य 211.3 है। 2017 में 244 मामलों से घटते हुए 2020 में 182 और 2021 में 176 मामलों तक गिरावट आई, किंतु 2022 में 202 तथा 2023 में 207 मामलों के साथ प्रवृत्ति पुनः ऊपर मुड़ी। 2019 से 2021 के बीच लगभग 26.7 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2021 से 2023 के बीच 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह उलटफेर दर्शाता है कि गिरावट स्थायी नहीं थी और रोकथाम तंत्र में निरंतरता का अभाव है।

तालिका 2: राज्यवार वितरण — एसिड हमले, 2023

राज्य/संघ क्षेत्र	दर्ज मामले	राष्ट्रीय हिस्सा (%)
पश्चिम बंगाल	57	27.5
उत्तर प्रदेश	31	15.0
गुजरात	15	7.2
राजस्थान	11	5.3
ओडिशा	11	5.3
केरल	10	4.8
हरियाणा	10	4.8

असम	10	4.8
दिल्ली	7	3.4
अन्य	45	21.7
भारत (कुल)	207	100.0

स्रोत: NCRB, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023।

तालिका 2 दर्शाती है कि 2023 में एसिड हमले भौगोलिक रूप से अत्यधिक संकेंद्रित रहे। पश्चिम बंगाल 57 मामलों (27.5 प्रतिशत) के साथ शीर्ष पर रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 31, गुजरात में 15, राजस्थान और ओडिशा में 11-11, केरल, हरियाणा और असम में 10-10 तथा संघ क्षेत्रों में केवल दिल्ली में 7 मामले दर्ज हुए। शीर्ष दो राज्यों का संयुक्त हिस्सा 42.5 प्रतिशत है, जबकि शीर्ष पाँच इकाइयाँ 60.3 प्रतिशत मामलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह संकेंद्रण लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता का सांख्यिकीय आधार प्रस्तुत करता है।

तालिका 3: उत्तर प्रदेश बनाम भारत — तुलनात्मक स्थिति (2022–2023)

वर्ष	भारत (मामले)	उत्तर प्रदेश (मामले)	यूपी का हिस्सा (%)
2022	202	30	14.9
2023	207	31	15.0

स्रोत: NCRB, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 एवं 2023।

तालिका 3 उत्तर प्रदेश की स्थिति को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रखती है। उत्तर प्रदेश में 2022 में 30 मामले दर्ज हुए, जो 2023 में बढ़कर 31 हो गए और राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा। दोनों वर्षों में राज्य का राष्ट्रीय हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत पर स्थिर रहा, अर्थात हर सातवाँ एसिड हमला उत्तर प्रदेश में हुआ। वृद्धि दर (यूपी: +3.3 प्रतिशत; भारत: +2.5 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत से किंचित अधिक रही। गोरखपुर जैसे जनपदों हेतु यह स्थिरता चिंताजनक संकेत है, क्योंकि यह रोकथाम उपायों के ठहराव को इंगित करती है।

तालिका 4: न्यायिक निष्पादन — एसिड हमला मामले, 2023

संकेतक	संख्या	प्रतिशत
विचाराधीन कुल मामले	735	100.0
पूर्व वर्षों से लंबित	649	88.3
2023 में विचारण हेतु प्रेषित	86	11.7
दोषसिद्धि	16	—
दोषमुक्ति	27	—
वर्षांत तक लंबित	703	95.6

स्रोत: NCRB, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023।

तालिका 4 न्यायिक प्रक्रिया की गति को उजागर करती है। 2023 में विचाराधीन 735 मामलों में से 649 पूर्व वर्षों से लंबित थे और केवल 86 नए मामले विचारण हेतु भेजे गए; वर्ष के दौरान मात्र 16 दोषसिद्धियाँ और 27 दोषमुक्तियाँ हुईं तथा 703 मामले लंबित रहे। निपटाए गए 43 मामलों में दोषसिद्धि दर 37.2 प्रतिशत रही, जबकि लंबितता दर 95.6 प्रतिशत है। यह चित्र मुकदमों के अंबार संबंधी आधिकारिक चिंता की पुष्टि करता है (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 2014) और दंड के निवारक प्रभाव के क्षरण को दर्शाता है।

तालिका 5: रिपोर्टिंग अंतराल — दर्ज बनाम अनुमानित घटनाएँ (2023)

संकेतक	मान
दर्ज एसिड हमले	207
दर्ज प्रयास (एटेम्प्ट)	65
कुल दर्ज (हमले + प्रयास)	272
गैर-सरकारी अनुमान (वार्षिक)	≈ 1,000
अनुमानित रिपोर्टिंग दर (%)	≈ 27.2
आरोप-पत्र दर, 2021 (%)	89.0

स्रोत: NCRB क्राइम इन इंडिया 2023; एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (ASTI) का अनुमान।

तालिका 5 दर्ज और वास्तविक घटनाओं के बीच की खाई मापती है। 2023 में 207 हमलों के साथ 65 प्रयास दर्ज हुए, जबकि स्वयंसेवी संगठनों का अनुमान है कि वास्तविक घटनाएँ प्रतिवर्ष लगभग 1,000 हैं; इस आधार पर अनुमानित रिपोर्टिंग दर मात्र 27.2 प्रतिशत बैठती है, अर्थात लगभग तीन-चौथाई घटनाएँ अभिलेखों से बाहर रह जाती हैं। दूसरी ओर 2021 में आरोप-पत्र दर 89 प्रतिशत रही, जो दर्शाता है कि दर्ज मामलों में जाँच अपेक्षाकृत सक्रिय है; वास्तविक अवरोध रिपोर्टिंग-पूर्व सामाजिक स्तर पर है।

तालिका 6: विधिक-संस्थागत प्रावधान — एसिड हमला रोकथाम एवं पीड़िता सहायता

प्रावधान	मुख्य विवरण
भा.दं.सं. 326A / भा.न्या.सं. धारा 124	न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास + अर्थदंड
प्रयास (एटेम्प्ट)	5–7 वर्ष कारावास
लक्ष्मी बनाम भारत संघ	न्यूनतम ₹3 लाख मुआवज़ा
उपचार से इनकार (अस्पताल)	1 वर्ष तक कारावास
एसिड बिक्री विनियमन (2013)	फोटो पहचान-पत्र, बिक्री रजिस्टर, प्रशासनिक निगरानी
नालसा योजना (2016)	पीड़िताओं को प्राथमिकता पर निःशुल्क विधिक सहायता
सखी वन स्टॉप सेंटर	चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक एवं आश्रय — एकीकृत सहायता

स्रोत: भारतीय न्याय संहिता 2023; उच्चतम न्यायालय के निर्देश (लक्ष्मी बनाम भारत संघ); गृह मंत्रालय परामर्श 2013; नालसा योजना 2016; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

तालिका 6 विधिक-संस्थागत ढाँचे का सार प्रस्तुत करती है। वर्तमान में एसिड हमला भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के अंतर्गत न्यूनतम दस वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडनीय है, प्रयास पर पाँच से सात वर्ष का दंड है, तथा उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम तीन लाख रुपये मुआवज़े और एसिड बिक्री पर फोटो पहचान एवं रजिस्टर आधारित नियंत्रण के निर्देश दिए हैं; उपचार से इनकार करने पर एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। स्पष्टतः ढाँचा व्यापक है; तालिका 4 और 5 के आलोक में समस्या प्रावधान की नहीं, प्रवर्तन और सामाजिक जागरूकता की है।

तालिका 7: परिकल्पना परीक्षण सारांश

परिकल्पना	परीक्षण	ची-वर्ग मान	df	क्रांतिक मान (0.05)	निर्णय
H_{01}: वार्षिक घटनाओं में सार्थक अंतर नहीं	ची-वर्ग उपयुक्तता	20.74	6	12.59	अस्वीकृत
H_{02}: राज्यवार वितरण समान	ची-वर्ग उपयुक्तता	117.22	8	15.51	अस्वीकृत

स्रोत: तालिका 1 एवं तालिका 2 के NCRB आँकड़ों पर शोधार्थी द्वारा की गई गणना।

तालिका 7 दोनों परिकल्पनाओं के परीक्षण का सारांश देती है। H_{01} हेतु सात वर्षों (2017–2023) के आँकड़ों पर परिकलित ची-वर्ग मान 20.74 है, जो df = 6 पर क्रांतिक मान 12.59 से अधिक है ($p < 0.05$); अतः H_{01} अस्वीकृत होती है, वार्षिक घटनाओं में सार्थक अंतर है। H_{02} हेतु नौ प्रमुख इकाइयों (कुल 162 मामले) पर ची-वर्ग मान 117.22 है, जो df = 8 पर क्रांतिक मान 15.51 से कहीं अधिक है; अतः H_{02} भी अस्वीकृत होती है, घटनाओं का संकेंद्रण सांख्यिकीय रूप से सार्थक है।

7. विवेचन

पहले उद्देश्य, प्रवृत्ति एवं वितरण के विश्लेषण की दृष्टि से परिणाम दो स्पष्ट निष्कर्ष देते हैं। पहला, वार्षिक घटनाओं में सार्थक उतार-चढ़ाव है (तालिका 1 एवं 7)। 2013 के विधिक संशोधनों, एसिड बिक्री नियंत्रण और मुआवज़ा व्यवस्था के बाद 2017 से 2021 तक की गिरावट यह संकेत देती है कि विधि और सार्वजनिक विमर्श का संयोजन प्रभाव डालता है; किंतु 2022–2023 की वापसी बताती है कि यह प्रभाव आत्मनिर्भर नहीं है, जैसे ही सार्वजनिक ध्यान और प्रशासनिक सक्रियता ढीली पड़ती है, वक्र पुनः ऊपर मुड़ जाता है। दूसरा निष्कर्ष भौगोलिक संकेंद्रण का है (तालिका 2 एवं 7): पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश मिलकर देश के 42.5 प्रतिशत मामलों का भार वहन करते हैं, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा दो वर्षों से लगभग 15 प्रतिशत पर अडिग है (तालिका 3)। रोकथाम की दृष्टि से इसका सीधा अर्थ है कि एकसमान राष्ट्रीय अभियान की तुलना में उच्च-भार राज्यों के जनपदों, जिनमें गोरखपुर जैसे सघन आबादी वाले पूर्वांचल के जिले सम्मिलित हैं पर केंद्रित, स्थानीय भाषा और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चलाए गए कार्यक्रम कहीं अधिक प्रतिफल देंगे।

दूसरे उद्देश्य, जागरूकता एवं शिक्षा आधारित उपायों के मूल्यांकन के संदर्भ में तालिका 4, 5 और 6 का संयुक्त पाठ निर्णायक है। विधिक ढाँचा कठोर है (तालिका 6), दर्ज मामलों में आरोप-पत्र दर ऊँची है (तालिका 5), फिर भी लंबितता 95.6 प्रतिशत और वार्षिक दोषसिद्धियाँ मात्र 16 हैं (तालिका 4)। मुकदमों का यह अंबार वही संरचनात्मक समस्या है जिसे न्यायिक बैकलॉग पर आधिकारिक रिपोर्ट ने वर्षों पूर्व चिह्नित किया था (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 2014); जब पीड़िता वर्षों न्याय की प्रतीक्षा करती दिखती है, तो समाज में यह संदेश जाता है कि अपराध की कीमत टाली जा सकती है। कोविड-काल के न्यायिक अनुभव ने सिद्ध किया है कि तकनीक आधारित सुनवाई और प्रक्रियागत लचीलापन संभव है (कुमार एंड झा, 2021); इसी नवाचार-क्षमता को एसिड हमला मामलों की समयबद्ध, फास्ट-ट्रैक सुनवाई में लगाना न्यायिक स्तर की सबसे प्रभावी 'संवेदनशीलता' होगी। दूसरी ओर, 27.2 प्रतिशत की अनुमानित रिपोर्टिंग दर (तालिका 5) बताती है कि सबसे बड़ा अवरोध थाने या अदालत से पहले परिवार, पड़ोस और समाज के स्तर पर खड़ा है। पुलिसिंग पर उपलब्ध शोध का यह निष्कर्ष यहाँ सीधे लागू होता है कि प्रथम संपर्क बिंदु पर पुलिस का संवेदनशील व्यवहार रिपोर्टिंग को बढ़ाता है और असंवेदनशीलता पीड़िता को सदा के लिए चुप करा देती है (जैन एंड अग्रवाल, 2021)।

गोरखपुर के संदर्भ में इन निष्कर्षों से चार व्यावहारिक दिशाएँ निकलती हैं। पहली, शैक्षिक हस्तक्षेप: जनपद के माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में जेंडर संवेदनशीलता, 'अस्वीकृति का सम्मान' और एसिड हमला संबंधी विधिक जानकारी को एनएसएस/एनसीसी गतिविधियों तथा नियमित पाठ्य-सह गतिविधियों से जोड़ा जाए, क्योंकि अपराधियों की मानसिकता किशोरावस्था में ही आकार लेती है। दूसरी, सामुदायिक जागरूकता: ग्राम पंचायतों, आँगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एसिड बिक्री नियमों, प्राथमिक उपचार (तत्काल पानी से धोना) और मुआवज़ा-सहायता व्यवस्था की जानकारी घर-घर पहुँचे; खुदरा विक्रेताओं को पंजी-संधारण के दायित्व के प्रति सचेत किया जाए। तीसरी, संस्थागत सुदृढ़ीकरण: जनपद के वन स्टॉप सेंटर को दिशानिर्देशों के अनुरूप सक्रिय कर चिकित्सा, विधिक और मनोवैज्ञानिक सहायता की एकीकृत, प्रचारित व्यवस्था बनाई जाए (मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2020)। चौथी, पुनर्वास और सामाजिक स्वीकृति: पीड़िताओं को शिक्षा, कौशल और रोज़गार से जोड़ना तथा उन्हें सार्वजनिक मंचों पर सम्मान देना समाज की दृष्टि बदलता है; सामाजिक स्वीकृति स्वयं में एक निवारक शक्ति है, क्योंकि वह अपराधी से 'पीड़िता को मिटा देने' का उद्देश्य ही छीन लेती है (सेन, 2020)। संविधान की गरिमा-केंद्रित दृष्टि (बसु, 2017) तभी धरातल पर उतरती है जब विधि, प्रशासन और समाज तीनों एक साथ संवेदनशील हों।

8. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का सांख्यिकीय विश्लेषण दर्शाता है कि भारत में एसिड हमलों की वार्षिक घटनाओं में सार्थक उतार-चढ़ाव है और 2021 के बाद प्रवृत्ति पुनः बढ़ी है; साथ ही घटनाएँ कुछ राज्यों में सांख्यिकीय रूप से सार्थक ढंग से संकेंद्रित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश लगभग 15 प्रतिशत हिस्से के साथ दूसरे स्थान पर है। कठोर दंड-विधान, ऊँची आरोप-पत्र दर और व्यापक मुआवज़ा-सहायता ढाँचे के बावजूद अत्यल्प दोषसिद्धि, 95 प्रतिशत से अधिक लंबितता और लगभग तीन-चौथाई घटनाओं की गैर-रिपोर्टिंग यह सिद्ध करती है कि समस्या का मूल विधिक नहीं, सामाजिक है। अतः रोकथाम की टिकाऊ रणनीति वही होगी जो विद्यालयों में जेंडर संवेदनशीलता की शिक्षा, समुदाय में एसिड बिक्री नियमों एवं प्राथमिक उपचार की जागरूकता, पुलिस-न्यायपालिका की त्वरित व संवेदनशील कार्यप्रणाली और पीड़िताओं के सम्मानजनक पुनर्वास को एक सूत्र में पिरोए। गोरखपुर जैसे जनपद, जहाँ शैक्षिक संस्थाओं का सघन जाल उपलब्ध है, इस बहुस्तरीय जागरूकता-शिक्षा मॉडल की प्रयोगभूमि बन सकते हैं। संवेदनशील समाज ही अंततः सुरक्षित समाज है।

एसिड हमले न केवल किसी व्यक्ति के शरीर को झुलसाते हैं, बल्कि उसकी आत्मा, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। यह अपराध हमारे समाज की मानसिक विकृतियों और संवेदनहीनता का द्योतक है। ऐसे में केवल कड़े कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में नैतिक चेतना और मानवीय संवेदनशीलता का विकास आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से हम लोगों के मन में यह समझ पैदा कर सकते हैं कि एसिड अटैक किसी का जीवन नष्ट करने के समान है, और इसका कोई भी औचित्य नहीं हो सकता।

शिक्षा इस दिशा में सबसे प्रभावी साधन बन सकती है। विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक समानता, सम्मान और संवेदनशीलता से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। युवाओं में यह भावना विकसित करना जरूरी है कि असहमति या अस्वीकृति हिंसा का कारण नहीं बन सकती। मीडिया, फ़िल्में और सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी इस संदेश को फैलाने के शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं, बशर्ते वे जिम्मेदारी से सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें।

साथ ही, समाज को यह समझना होगा कि एसिड हमले की शिकार महिलाएँ या पुरुष दया की नहीं, बल्कि सम्मान और सहयोग की पात्र हैं। उनके पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। स्वयंसेवी संस्थाएँ, महिला समूह और स्थानीय प्रशासन मिलकर ऐसी कार्यशालाएँ और अभियान चला सकते हैं जिनसे लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता दोनों बढ़ें।

सरकारी स्तर पर भी सख्त निगरानी और नियंत्रण जरूरी है — एसिड की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध, अपराधियों के लिए त्वरित न्याय प्रक्रिया, और पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता जैसी नीतियाँ निरंतर सशक्त की जानी चाहिए। परंतु, किसी भी कानून या नीति से अधिक प्रभावी है मानसिक परिवर्तन — जब समाज यह समझे कि किसी की अस्मिता पर हमला करना मानवता के विरुद्ध अपराध है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एसिड हमलों की रोकथाम केवल कानूनी प्रयासों से नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना, शिक्षा, नैतिक मूल्यों और संवेदनशील सोच के माध्यम से ही संभव है। जब हर व्यक्ति दूसरों के सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, तभी हम एक सुरक्षित, संवेदनशील और समानतामूलक समाज की स्थापना कर पाएँगे, जहाँ किसी को भी भय या हिंसा का सामना न करना पड़े।

Reference

[1]. आंबेडकर, बी.आर. (1950). कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स।

[2]. उपाध्याय, बी. (2010). जेंडर जस्टिस एंड इंडियन जुडिशियरी। ईस्टर्न बुक कंपनी।

[3]. कुमार, एन., एंड झा, आर. (2021). जुडिशियरी एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स इन इंडिया। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।

[4]. जैन, एम., एंड अग्रवाल, टी. (2021). पुलिसिंग जेंडर क्राइम्स इन इंडिया। जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड सोशल डेविएन्स।

[5]. बसु, डी.डी. (2017). कॉमेंटरी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेक्सिसनेक्सिस।

[6]. भगवती, पी.एन. (1984). पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन: न्यू डायमेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म। जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट।

[7]. भाटिया, ए. (2019). लीगल रिस्पॉन्स टू एसिड अटैक्स। नेशनल लॉ स्कूल जर्नल।

[8]. मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। (2016). सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम: ऑफिशियल डॉक्युमेंटेशन।

[9]. मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। (2020). सखी वन स्टॉप सेंटर गाइडलाइन्स।

[10]. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। (2014). रिपोर्ट नं. 245: एरियर्स एंड बैकलॉग।

[11]. सिंह, आर. (2018). जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत विधि प्रकाशन।

[12]. सीरवाई, एच.एम. (2013). कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग।

[13]. सेन, आर. (2020). सोशल एक्सेप्टेन्स एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एसिड अटैक सर्वाइवर्स। इंडियन सोशियोलॉजिकल रिव्यू।

Cite this Article:

Chhama and Dr. Vikas Deep Singh Kohli, " एसिड हमलों की रोकथाम हेतु सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से संवेदनशीलता बढ़ाने के उपाय ", *Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT), ISSN: 3139-1656 (Online), Volume 2, Issue 1, pp. 48-57, Jan 2026.*

Journal URL: https://vijact.com

***DOI:** https://doi.org/10.65785/vijact.v2i1.11*